भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †216
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

प्राकृतिक आपदाओं से पर्यटन स्थलों को बचाना

†216. श्रीमती शर्मिष्ठा शेठीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनज़र पर्यटन स्थलों को आपदा रोधी बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि पर्यटक अवसंरचना को कम से कम नुकसान हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख): पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य आधरित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी तथा जिम्मेदार गंतव्यों के विकास हेतु स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में अपनी स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया है। इस योजना में पर्यावरणीय स्थायित्व, सामाजिक- सांस्कृतिक स्थायित्व और आर्थिक स्थायित्व सहित स्थायी पर्यटन के सिद्धांतों के अनुपालन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद (तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान) योजना की मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) के तहत सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के दौरान भूकम्प सम्बन्धी क्षेत्र की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। जहाँ परियोजना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सूचित किया है कि उन्होंने शीत लहर पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें एक मैट्रिक्स में पर्यटन पर सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार एजेंसी, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के कार्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

****